

Committee was also to consider and suggest further delegation of powers to the State Governments regarding grant/renewal of prospecting Licences/Mining Leases and measures to be taken to prevent illegal mining. The Committee has since submitted its report on which necessary action has already been initiated.

बहुराष्ट्रिक विदेशी कंपनियों को आमंत्रित करना

2247. श्री अनन्तराय देवशंकर दवे : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र और मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के बहुमूल्य हीरा खनन क्षेत्रों में खनन-कार्य हेतु बहुराष्ट्रिक विदेशी कंपनियों को आमंत्रित किया है,

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और तत्संबंधी कंपनीवार ब्यौरा क्या है,

(ग) सरकार को अब तक प्रस्ताव भेजने वाली कंपनियों का ब्यौरा क्या है,

(घ) प्रस्तावित समझौतों के निबंधन एवं शर्तें क्या हैं, और

(ङ) इसे कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री नवीन पटनायक) : (क) से (ग) खनन अधिकार संबंधित राज्य सरकारों द्वारा खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 के प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार दिए जाते हैं। मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार मध्य प्रदेश राज्य सरकार की ओर से मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम द्वारा राज्य के 11 ब्लकों अर्थात् अंगोरा ब्लक, मझगांव ब्लक, पारीखेड़ा ब्लक, ईबमेनी ब्लक, सरानगढ़ ब्लक, पिथौड़ा ब्लक, बेराडीह ब्लक, केनकर केशकाल ब्लक, नारायणपुर लनजोरा ब्लक, छोटा डोंगर ब्लक और टोकापाल ब्लक, प्रत्येक ब्लक में लगभग 4500 से 5000 वर्ग कि० मी० क्षेत्र के कवर किया गया है, मैं, उपलब्ध हीरों के पूर्वेक्षण खनन और विपणन के लिए भारत में पंजीकृत कंपनियों या भारतीय नागरिकों से प्रस्ताव आमंत्रित किए गए थे।

मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने राज्य के वित्तीय हितों की सुरक्षा के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किये थे। निम्न चार कंपनियों ने अपने प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं :-

1. मैसर्स नेशनल मिनरल डिवलपमेंट कारपोरेशन लि. हैदराबाद (1) पिथौड़ा ब्लक (2) केनकर केशकाल ब्लक, (3) छोटा डोंगर ब्लक (4) टोकापाल ब्लक (5) नारायण-पुर-लनजोरा ब्लक और (6) बेहराडीह ब्लक के लिए)

2. मैसर्स एडामास इंडिया लि., नई दिल्ली (केवल बेहराडीह ब्लक हेतु)।

3. मैसर्स एसीसी रियो-टिटो एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन लि., बंगलौर (केवल बेहराडीह ब्लक हेतु)

4. मैसर्स बी. विजयकुमार डायमंड कंस्टोरियम, मुंबई (केवल बेहराडीह ब्लक हेतु)।

(घ) प्रमुख शर्तों, जिन पर प्रस्ताव आमंत्रित किए गए विवरण के रूप में संलग्न हैं (नीचे देखिए)

(ङ) मैसर्स आईसीआईसीआई ने उपरोक्त चार प्रस्तावों का मूल्यांकन किया था आईसीआईसीआई द्वारा किए गए तकनीकी मूल्यांकन को ध्यान में रखकर मध्य प्रदेश सरकार ने बेहराडीह ब्लक के लिए मैसर्स बी. विजयकुमार डायमंड कंस्टोरियम द्वारा दिए गए प्रस्ताव को स्वीकार करने का निर्णय लिया है।

इसके अलावा, मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि चयनित कंपनी एक निर्धारित समय सीमा के भीतर मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम के सहयोग से एक संयुक्त क्षेत्र कंपनी बनेगी।

संयुक्त क्षेत्र कंपनी का पंजीकरण हो जाने के बाद मध्य प्रदेश सरकार, भारत सरकार पूर्वेक्षण लाइसेंस देने संबंधी आवेदन की अनुशंसा करेगी।

विवरण

(क)

1. केवल भारत में पंजीबद्ध कंपनियां अथवा भारतीय नागरिक ही ऑफर प्रस्तुत कर सकते हैं।

2. शासन द्वारा चिन्हित किए गए 11 ब्लक्स हेतु यह आमंत्रण जारी किया गया है जिसके तहत प्रत्येक ब्लक के लिए पृथक ऑफर देना होगा, किन्तु ऑफर कर्ता एक या अधिक

ब्लाक के लिए स्वयं अथवा अपने सहयोगियों आदि के साथ ऑफर जमा कर सकता है।

(ख) ऑफर जमा करने हेतु निम्नलिखित पात्रता निर्धारित की गई हैं :-

1. ऑफरकर्ता को हीरो के पूर्वक्षण, सर्वेक्षण एवं मूल्यांकन में 5 वर्ष का पूर्व अनुभव होना चाहिए तथा उसके साथ अथवा उसका सहयोग करने वाले आदि के पास तकनीकी सुविधा इस कार्य हेतु उपलब्ध होना चाहिए। विशेषकर ईडीकेटिड मिनरल्स की मौजूदगी पता लगाने की सुविधा।

2. ऑफरकर्ता को यह अभिकथन देना होगा कि गठित जे0 वी0 सी0 के द्वारा हवाई पूर्वक्षण कार्य किया जाएगा।

3. ऑफरकर्ता मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम के साथ संयुक्त उपक्रम गठित कर कार्य संपादित करेगा जिसे संयुक्त उपक्रम विधिवार पी0 एल0 या आवश्यकता होने पर खनिज रियायतें प्राप्त करेगा।

4. ऑफरकर्ता की नेटपर्थ 150 करोड़ रु0 तथा उसका तीन वर्ष का वार्षिक औसत टर्नओवर रु0 300 करोड़ का होना चाहिए।

5. ऑफरकर्ता को यह सहमति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा कि वह राज्य खनिज निगम हो संयुक्त क्षेत्र में 11% अनसब्सक्राइब्ड अंश पूंजी देगा तथा कंपनी की अंश पूंजी का 11% हमेशा ही बना कर रखेगा।

6. ऑफरकर्ता उत्पादित हीरे पर 20/- रु0 प्रति कैरेट की दर से स्थानीय विकास हेतु सहमत होगा।

7. किसी भी ऑफरकर्ता को दो से अधिक ब्लाक आबंटित नहीं किया जाएगा।

8. ऑफर का मूल्यांकन पूर्व निर्धारित जिसमें वाणिज्यिक मापदण्डों पर किया जाएगा जिसमें वाणिज्यिक दृष्टि से ऑफरकर्ता को हीरो के विक्रय मूल्य के 10% न्यूनतम निर्धारित से अधिक कितने प्रतिशत राशि राज्य शासन को देने को सहमत हैं अपने ऑफर में उल्लेखित करना होगा। यह राशि हीरो के उत्खनन पर देय रॉयल्टी तथा राज्य एवं केन्द्र सरकार को प्राप्त होने वाले कर/राजस्व के अतिरिक्त होगी।

9. ऑफरकर्ता को ऑफर के साथ 1.00 करोड़ रु0 की अमानत राशि जमा करवानी होगी।

लौह और इस्पात संबंधी संयुक्त उद्यम पैनल

2248. श्री अनन्तराय देवशंकर दवे : क्या इस्पात तथा खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय नें संयुक्त उद्यम समिति के वर्तमान स्वरूप इसकी भूमिका और उसके कार्यों के मूल्यांकन के लिए किसी विशेषज्ञ दल का गठन किया है,

(ख) यदि हां, तो क्या इस समिति ने अपना अन्तरिम या अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है,

(ग) यदि हां, तो इस प्रतिवेदन में की कई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है,

(घ) क्या सरकार “लौह और इस्पात संबंधी संयुक्त उद्यम पैनल” का विस्तार करने का विचार कर रही हैं, और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) जी नहीं।

(ख) से (ङ) उपरोक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

Losses in Visakhapatnam Steel Plant

2249. SHRI PARMESHWAR KUMAR AGARWALLA: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) what have been the cash and overall losses in Visakhapatnam Steel Plant in 1996-97 and 1997-98;

(b) what has been its production of metallurgical coke in 1995-96, 1996-97 and 1997-98 and out of these how much have been captive consumption and outside sales during these years; and

(c) what is the impact of cheap imports of metallurgical coke of Chinese origin on its outside sale of coke, its stocks and prices?